RNI : MAHHIN/2003/10991

खबरें

आप तक

वर्ष - 24 अंक -03 मुंबई, सोमवार २ फरवरी से ८ फरवरी २०२६ पृष्ठ : 4 कीमत : 1 रुपये

अंधेरी (प.) में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ

महानगरपालिका ने उठाया सख्त कदम

मुंबई : अंधेरी (पश्चिम) इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने सख्त कदम उठाया है। राम गणेश गडकरी मार्ग (इर्ला रोड) पर बीएमसी के पश्चिम वार्ड ने कार्रवाई करते हुए करीब 200 अवैध फेरीवालों और फुटपाथों पर बने अनधिकृत निमार्णों को हटाया। यह कार्रवाई 29 जनवरी 2026 को की गई।

अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण

यह मार्ग स्वामी विवेकानंद रोड और गुलमोहर रोड को जोड़ता है और डॉ. आर. एन. कूपर अस्पताल के प्रवेश मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। लंबे समय से यहां फुटपाथों पर फेरीवालों और अवैध दुकानों के कारण एम्बुलेंस की आवाजाही में रुकावट, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत, पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही थी।

आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई

यह निष्कासन अभियान महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देश पर चलाया गया। कार्रवाई उप आयुक्त भाग्यश्री कापसे के मार्गदर्शन में और सहायक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले के नेतृत्व में की गई।

भारी मशीनरी और पुलिस बंदोबस्त

अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी ने 4 अतिक्रमण हटाने वाले वाहन, 3 जेसीबी मशीनें तैनात की थीं। इसके साथ ही करीब 100 बीएमसी कर्मचारी और पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने संतोष जताया है।

लोगों का कहना है कि रास्ता साफ होने से अब यातायात और पैदल आवाजाही पहले से बेहतर हो गई है। बीएमसी प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में अवैध फेरीवालों और अनधिकृत निमार्णों के खिलाफ आगे भी नियमित कार्रवाई जारी रहेगी।

म्हाडा जल्द निकालेगा

3 हजार घरों की लॉटरी

मुंबई : म्हाडा मुंबईकरों के लिए जल्द खुशखबरी लेकर आने वाला है। मुंबई में सस्ते घर की आस लगाए बैठे लोगों के लिए म्हाडा जल्द ही लॉटरी निकालने जा रही है। म्हाडा लगभग तीन हजार घरों की लॉटरी अगले महीने निकालने की तैयारी की है। म्हाडा अधिकारियों के अनुसार, सस्ते घरों की औपचारिक घोषणा मार्च 2026 में की जा सकती है। इसके साथ ही कोंकण क्षेत्र के लिए भी हजारों घरों की एक समानांतर लॉटरी पर काम चल रहा है। यह प्रस्तावित लॉटरी ऐसे समय में आ रही है, जब मुंबई में आवास की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और निजी परियोजनाओं में घर आम नागरिकों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। म्हाडा की आवास योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए शहर में कानूनी रूप से घर पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई हैं। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक आवास योजनाएं संपत्ति बाजार में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अधिकारियों के मुताबिक मुंबई की यह लॉटरी मुख्य रूप से पुनर्विकास योजनाओं और चल रही निर्माण परियोजनाओं से तैयार हुए घरों पर आधारित होगी। पश्चिमी और मध्य मुंबई में कई बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट विभिन्न चरणों में हैं, जिनसे तैयार होने वाले मकानों को पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। लॉटरी में विभिन्न आय वर्गों के लिए मकान शामिल किए जाने की संभावना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए छोटे घर, जबकि मध्यम और उच्च आय वर्ग के लिए अपेक्षाकृत बड़े मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

भिवंडी :चाकू की नोक पर 50 हजार रुपए और टैब छीन कर ले गए

भिवंडी : नाशिक-मुंबई रोड पर सरवली पाड़ा इलाके में मंगलवार शाम बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू दिखाकर एक ठेकेदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने कार में बैठे व्यक्ति के हाथ से काली बैग छीन ली, जिसमें करीब 50 हजार रुपये नकद और सैमसंग कंपनी का टैब था। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बपुलिस के अनुसार, नाशिक निवासी सुभाष दिनानाथ प्रसाद (42), पेशे से कंस्ट्रक्शन ठेकेदार, अपने मित्र अंकुश बोडके के साथ कार (एमएच-15 एफएफ 8710) से मुंबई जा रहे थे। 27 जनवरी की शाम करीब 7.30 बजे सरवली पाड़ा स्थित बाबोसा कंपाउंड के पीछे उनकी कार रुकी। इसी दौरान अंकुश बोडके प्राकृतिक आवश्यकता के लिए कार से उतरकर कुछ दूरी पर चले गए, जबकि सुभाष कार में अकेले बैठे थे। इसी दौरान काले रंग की एफ-शेड मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवक कार के पास पहुंचे और पीछे बैठे बदमाश ने सुभाष के हाथ में मौजूद काली बैग जबरन खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि चाकू दिखाकर धमकाया और बैग छीनकर नाशिक की दिशा में तेज रफ्तार से फरार हो गए। घटना की शिकायत कोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक रोहन गायकवाड़ कर रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।

वसई : धूल फांक रही हैं लाखों की सोनोग्राफी मशीनें,

डॉक्टर नहीं, इसलिए निजी केंद्रों पर लुटने को मजबूर गरीब मरीज...

वसई : कहने को तो वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। मनपा के अस्पतालों में लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई सोनोग्राफी मशीनें 'शोपीस' बनकर रह गई हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी के चलते ये मशीनें बंद पड़ी हैं, जिसका सीधा आर्थिक प्रहार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। मशीनें हैं पर चलाने वाले हाथ नहीं शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछाने का दावा करते हुए मनपा प्रशासन ने 2 मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्र, 7 अस्पताल और 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित कुल 80 से अधिक केंद्र संचालित किए हैं। विडंबना यह है कि इन केंद्रों में अत्याधुनिक सोनोग्राफी सिस्टम तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए स्थायी रेडियोलॉजिस्ट (डॉक्टर) की नियुक्ति करना प्रशासन भूल गया।

मरीजों की जेब पर भारी 'सरकारी लापरवाही'

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दरों पर होने वाली सोनोग्राफी सेवा ठप होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। मजबूरन उन्हें निजी सेंटरों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें मोटी फीस चुकानी पड़ती है। सरकारी अस्पताल में मशीन होने का क्या फायदा जब वह बंद पड़ी है? हमें बाहर से सोनोग्राफी कराने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रशासन को आम जनता की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार किया है कि विशेषज्ञों के पद रिक्त होने के कारण यह संकट खड़ा हुआ है। अब प्रशासन इस कमी को भरने के लिए 'बैठकों' का सहारा ले रहा है। जल्द ही शहर के निजी सोनोग्राफी डॉक्टरों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। प्रशासन निजी डॉक्टरों से अनुरोध करेगा कि वे सप्ताह में कुछ निश्चित समय के लिए सरकारी केंद्रों पर अपनी सेवाएं दें। सरकारी मशीनों का धूल फांकना और जनता का निजी केंद्रों पर लुट जाना, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

संपादकीय

भारतीय समाज के लिए झटका

हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, 'लिव-इन रिलेशन भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लड़कियां सोचती हैं कि वे माडर्न हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास होता है कि यह रिश्ता शादी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है।' तमाम अदालतें निरंतर इसके लिए चेता रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अपेक्षाकृत लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर कहीं अधिक नुकसानदायक है, लेकिन शायद युवाओं के लिए आधुनिक होने का तात्पर्य पश्चिमी संस्कृति को अपनाना हो गया है। उनका यह सोच उन्हें ऐसी स्थितियों में धकेल देता है, जहां से निकलने का हर प्रयास नाकाम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी युगल न्यायालय के दरवाजे खटखटाता हुआ नहीं दिखाई देता।

अगस्त 2023 में 'अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि अधिकांश लिव-इन जोड़ों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह के सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभद्र सार्वजनिक टिप्पणियां लिव-इन रिलेशनशिप के बाद उसके कष्टों का हिस्सा बन जाती हैं। जिस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप अपना रही है, उसे यह जानना होगा कि आज भी पुरुषों और स्त्रियों के लिए स्पष्ट रूप से अलग नैतिक नियम हैं और इसका उदाहरण ब्रिएना पेरेली-हैरिस का शोध है, जो यूरोप के 11 देशों पर आधारित है। इसमें पाया गया कि लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक दृष्टि, चरित्रगत संदेह और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। शोध यह भी बताता है कि जहां पारंपरिक पारिवारिक और नैतिक मूल्य अधिक मजबूत हैं, वहां लिव-इन के बाद महिलाओं के लिए नए संबंधों में स्थापित होना, सामाजिक स्वीकृति पाना और सम्मानजनक जीवन में पुनः प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसी असमान और कठोर सामाजिक व्यवहार को शोधकताओं ने स्पष्ट रूप से 'जेंडर्ड स्टिग्मा' कहा है। उक्त शोध यह स्थापित करता है कि लिव-इन संबंध महिलाओं के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा सामाजिक जोखिम बन जाता है, जिसके दीर्घकालिक मानसिक, सामाजिक और भविष्यगत दुष्परिणाम होते हैं। तमाम अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि 'लिव इन रिलेशनशिप' कभी भी वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता। मनोविज्ञानी स्काट एम स्टैनली अपने 'स्लाइडिंग बनाम डिसाइडिंग सिद्धांत' में स्पष्ट करते हैं कि लिव-इन संबंधों में युवा अक्सर सोच-समझकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थितियों के साथ धीरे-धीरे फिसलते हुए बड़े जीवन-निर्णयों में प्रवेश कर जाते हैं। इन रिश्तों में स्पष्ट और सचेत प्रतिबद्धता नहीं होती। यही असंतुलन आगे चलकर भावनात्मक असुरक्षा, मानसिक तनाव और संबंधों की अस्थिरता का कारण बनता है। स्टैनली का शोध कहता है कि लिव-इन संबंध टूटने पर अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और भविष्य के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्टैनली का मानना है कि लिव-इन संबंध आकर्षक लग सकते हैं, पर वास्तव में वे उच्च-जोखिम वाले हैं, जिनके प्रायः नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से स्टैनली की विचारधारा को सत्यापित करते हुए दिखाई देती है कि विवाह संस्था व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता। भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती उस संस्कृति के पीछे भागना है, जिसे पश्चिमी संस्कृति और बालीवुड ने स्थापित किया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने और हमारे देश की प्रगति में बाधा डालने की व्यवस्थित योजना है।

संपादकीय कार्यालयः
आर. जे. पब्लिकेशन के लिए मुद्रक, प्रकाशक, मालिक राजू ज. पंडित द्वारा हनुमान कंपाउंड, एस.एन. दुबे रोड, रावल पाडा, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400068 से प्रकाशित व भारत लिथो एवं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस : 48, गुलशन महल कंपाउंड, फारस रोड, मुंबई - 400008 से मुद्रित। संपादक : राजू ज. पंडित
संपर्क कार्यालय : संपर्क कार्यालय : एकता नगर हा. सो.लि. एसएन दुबे रोड रावल पाड़ा दहिसर (पूर्व) मुंबई 400068

संपर्क कार्यालय : एकता नगर हा. सो. लि., एस एन दुबे रोड
रावलपाड़ा दहिसर पूर्व मुंबई ४०००६८
Mob No. : 9967776303
RNI : MAHHIN/2003/10991

मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो की बड़ी कामयाबी

3 भगोड़े अपराधियों को मुंबई में पकड़ा, मलेशिया किया डिपोर्ट

मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंटरपोल की मदद से एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को अंजाम दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मलेशिया की एजेंसियों के साथ मिलकर तीन रेड नोटिस जारी आरोपियों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा और उन्हें भारत से मलेशिया डिपोर्ट कराया है. जानकारी के मुताबिक जिन तीन आरोपियों को डिपोर्ट किया गया है उनके नाम श्रीधरन सुब्रमणियम, प्रतिफ कुमार सेल्वराज और नविंद्रेन राज कुमारासन हैं. बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में मलेशियाई एजेंसियों के वांटेड थे. इन पर गंभीर अपराधों को अंजाम देने, अवैध फायदे, ताकत और प्रभाव हासिल करने की साजिश का आरोप है. इन तीनों की ही काफी समय से तलाश की जा रही थी.

यूनाइटेड किंगडम से भारत पहुंचे

केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, ये तीनों आरोपी यूनाइटेड किंगडम से भारत पहुंच रहे थे, लेकिन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी. इसके बाद इंटरपोल की मलेशिया शाखा, एनसीबी कुआलालंपुर ने औपचारिक रूप से एनसीबी नई दिल्ली से संपर्क कर आरोपियों को मलेशिया भेजने में सहयोग मांगा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए रॉयल मलेशिया पुलिस की एक एस्कॉर्ट टीम 25 जनवरी 2026 को मुंबई पहुंची. केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य भारतीय एजेंसियों के सहयोग से तीनों आरोपियों को मंगलवार (27 जनवरी 2026) को सुरक्षित और तय प्रक्रिया के तहत मलेशिया भेज दिया गया. यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के खिलाफ विदेश संग सहयोगी अभियान की बड़ी मिसाल मानी जा रही है.

मजबूत द्विपक्षीय पुलिस सहयोग

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि यह कार्रवाई भारत और मलेशिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय पुलिस सहयोग को दशार्ती है. इसके साथ ही यह भी साबित करती है कि सीमा पार अपराधों से निपटने में इंटरपोल के रेड नोटिस और अंतरराष्ट्रीय समन्वय कितने प्रभावी हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरपोल रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरार अपराधियों का पता लगाने और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित देश तक पहुंचाने का एक अहम माध्यम बना हुआ है.

ठाणे के कई इलाकों में शुक्रवार को छह घंटे पानी की कटौती...

ठाणे : ठाणे महानगरपालिका ने शहरवासियों को पानी कटौती की सूचना दी है। मनपा की स्वयं की जलापूर्ति योजना के तहत किरवली स्थित मुख्य जलवाहिनी में हो रही लीकेज को ठीक किया जाएगा। साथ ही इंदिरानगर पंपिंग स्टेशन की सफाई का काम भी किया जाना है। इस कार्य के चलते शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक छह घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान मनपा की स्वयं की जलापूर्ति बंद रहेगी। हालांकि स्टेम प्राधिकरण की जलापूर्ति को जोनिंग के माध्यम से चालू रखा जाएगा। कटौती का असर घोडबंदर रोड, वर्तकनगर, ऋतुपार्क, जेल, गांधीनगर, रुस्तमजी, सिद्धांचल, समतानगर, सिद्धेश्वर, इटर्निटी, जॉन्सन, इंदिरानगर, श्रीनगर, लोकमान्यनगर, सावरकरनगर, रुपादेवी पाड़ा और किसननगर सहित कई इलाकों में रहेगा। मनपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि शटडाउन के बाद एक से दो दिन तक कम दबाव से पानी आपूर्ति होने की संभावना है।

ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए जरूरी फैसला लिया

पीक आवर्स में भारी वाहनों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं

मुंबई : मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने रोजाना के ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया है। अब, सुबह और शाम के पीक आवर्स में भारी वाहनों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। इस फैसले से साउथ मुंबई से सबर्ब्स तक का सफर तेज होने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, भारी वाहनों पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं: सुबह का समयः सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक शहर में एंट्री बंद रहेगी।

शाम का समयः शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। यह कहाँ लागू होगा? ये नियम मुंबई की सभी मुख्य सड़कों, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे पर लागू होंगे। ऑफिस के समय मुंबई में भारी ट्रक और ट्रेलर की वजह से आम आदमी का सफर मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जाम अक्सर, ये गाड़ियां संकरी सड़कों पर फंस जाती हैं, जिससे कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। इस नए फैसले से बस, बाइक और कार ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी और उम्मीद है कि इससे यात्रा का समय कम से कम 20 से 30 मिनट बचेगा। जरूरी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दूध और सब्जी सप्लाई करने वाले वाहन और पानी के टैंकरों को इस नियम से छूट दी गई है। हालांकि, बाकी सभी कमर्शियल भारी वाहनों को इन टाइमिंग का सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुमार्ना लगाया जाएगा और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा।

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर कंटेनर पलटने से लगा महाजाम, यात्री बेहाल

वसई : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सासुनवघर के पास भारी सामान से लदे एक कंटेनर और मिक्सर ट्रक के बीच हुई टक्कर में कंटेनर सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे के बाद राजमार्ग पर वाहनों का मील लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुर्घटना बुधवार तड़के करीब 5:00 बजे सासुनवघर (मुंबई वाहिनी) के पास हुई। भारी माल लेकर जा रहे ट्रक और एक मिक्सर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई।

हादसे के कारण ट्रक का भारी सामान पूरी सड़क पर बिखर गया, जिसे हटाने में क्रेन और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर कंटेनर पलटे होने के कारण ससुपाड़ा से नायगांव के बीच वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय यात्रियों और चालकों ने प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हादसे के 8 घंटे बाद भी ट्रक को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका था। समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके। मुंबई और ठाणे जाने वाले दफ्तरों के कर्मचारी घंटों जाम में फंसे रहे। जाम के कारण एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों की गति भी थम गई। जाम से बचने के चक्कर में कई वाहन चालकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों को विपरीत दिशा में डाल दिया। इसकी वजह से गुजरात की ओर जाने वाली लेन पर भी यातायात बाधित हो गया और स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पिछले कुछ समय से गड्ढों, जलभराव और लगातार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है। यह मार्ग मुंबई, ठाणे, पालघर और गुजरात को जोड़ने वाली मुख्य जीवनरेखा है, लेकिन बार-बार होने वाले ऐसे हादसों ने इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भिवंडी : बिजली चोरी का बड़ा मामला उजागर...

भिवंडी : शहर में बिजली चोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। शांतीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से बिजली लाइन से केबल जोड़कर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी किए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता कु.अवंती सुदेश नाचनकर (23), जो एक टोरेंट पॉवर कंपनी में एक्जीक्यूटिव पद कार्यरत हैं, ने बताया कि निरीक्षण के दौरान भिवंडी के मीराकल मॉल, परिसर सलाउद्दीन बिल्डिंग के पास घर नंबर 116 तल मंजिला में आरोपी द्वारा बिना अधिकृत मीटर के सीधे बिजली लाइन से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग किया जा रहा था।

मुंबई : जहरीली हवा पर हाईकोर्ट सख्त!

निगरानी के लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी... रोज होगी समीक्षा

मुंबई : बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निगरानी के लिए एक हाई-पावर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया, जो रोजाना समीक्षा करेगी। कोर्ट ने कहा कि अब तक के कदम नाकाफी रहे और दिसंबर में हालात बहुत गंभीर थे।

मुंबई और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक उच्चस्तरीय (हाई-पावर) समिति गठित करने का फैसला किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब तक राज्य और नगर निकायों द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी हैं और आम लोगों को शुद्ध हवा में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि परिणाम सुनिश्चित करना चाहता है।

क्या है अदालत की चिंता?

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि अक्टूबर 2023 में स्वतः संज्ञान लेने के बाद से हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। नवंबर 2023 में अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए थे, लेकिन जमीनी असर नजर नहीं आया। दिसंबर में प्रदूषण स्तर ''बहुत गंभीर'' तक पहुंचने की रिपोर्ट ने अदालत की चिंता बढ़ाई।

अब तक के कदम क्यों नाकाम रहे?

अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई-नवी मुंबई की नगरपालिकाओं की ओर से दाखिल हलफनामे पर्याप्त नहीं हैं। प्रयास किए गए होंगे, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। कोर्ट ने यह भी माना कि बढ़ते मामलों और सीमित समय के कारण हर हलफनामे की सूक्ष्म जांच संभव नहीं, इसलिए निगरानी के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है।

कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई!

एक सप्ताह में 35 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स, सोना, हीरे जब्त!

मुंबई : कस्टम्स जोन-III ने पिछले एक सप्ताह (21 जनवरी से 29 जनवरी 2026) में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर तस्करी के कई बड़े मामले पकड़े हैं। एयरपोर्ट कमिश्नरेट की टीम ने स्पॉट चेकिंग, एपीआईएस प्रोफाइलिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर कुल कई मामलों में ड्रग्स, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा बरामद की। इन मामलों में कुल अवैध सामान की अनुमानित बाजार कीमत 35 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।

सबसे बड़ी सफलता नशीले पदार्थों के क्षेत्र में रही। हाइड्रोपोनिक वीड (एक उच्च गुणवत्ता वाला कैनबिस उत्पाद) के चार अलग-अलग मामलों में कुल 26.522 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस बरामद किया गया। इनकी अवैध बाजार कीमत लगभग 26.522 करोड़ रुपए आंकी गई है। सभी मामले बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से जुड़े थे। तस्करों ने ट्रॉली बैग के अंदर विशेष तरीके से छिपाकर यह सामान लाने की कोशिश की। चारों यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सोने की तस्करी में भी मुंबई कस्टम्स ने कड़ी कार्रवाई की। 27 जनवरी को एक विशेष मामले में 1470 ग्राम 24 कैरेट सोना (मूल्य 2.1 करोड़ रुपए) बरामद हुआ। इस मामले में एक बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री और सीएसएमआई एयरपोर्ट पर एचआरपीएल (हार्डकैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) के एक स्टाफ सदस्य शामिल थे। सोना ट्रांजिट यात्री ने एयरपोर्ट स्टाफ को सौंपा था। दोनों को गिरफ्तार किया गया। तरीका बॉडी पैकिंग था, यानी सोना शरीर के अंदर छिपाकर लाया गया।

इसके अलावा चार अन्य सोने के मामलों में 2162 ग्राम 24 कैरेट सोना (मूल्य 2.89 करोड़ रुपए) चार यात्रियों से बरामद हुआ। इनमें तस्करों ने कपड़ों के अंदर सोने की पन्नियां या बिस्किट छिपाए थे। एक अलग मामले में 10660 कैरेट (2132 ग्राम) हीरे बरामद किए गए, जिनकी कीमत 1.81 करोड़ रुपए थी। यह यात्री चेक-इन बैगेज में हीरे छिपाकर ला रहा था। विदेशी मुद्रा के तीन मामलों में चार यात्रियों से कुल 1.18 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। तस्करों ने चेक-इन और हैंड बैगेज में नकदी छिपाई थी। मुंबई कस्टम्स के कमिश्नर ने बताया कि एयरपोर्ट पर तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई गई है।

मुंबई : 400 मीटर दूरी के लिए वसूल लिए 18000, अनजान जगह ले जाकर अमेरिकी महिला को टैक्सी ड्राइवर ने ठगा...

मुंबई : मुंबई एयरपोर्ट के पास एक विदेशी महिला से ठगी का मामला सामने आया है. ठगी करने वाले टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर ने महज 400 मीटर की दूरी के लिए विदेशी महिला से 18 हजार रुपये वसूल लिए. ये सारा मामला तब सामने आया, जब अमेरिका की रहने वाली महिला ने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस साझा किया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, अमेरिकी महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक्सपीरियंस साझा किया था. उसकी पोस्ट तेजी से वायरल हुई. इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया.

महिला ने अपनी पोस्ट में बताया था कि हाल ही वह मुंबई आई थी और एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेकर पास के ही एक 5 स्टार होटल रही थी. रास्ते में टैक्सी ड्राइवर और उसका एक साथी ने उन्हें पहले किसी अनजान जगह ले गया और फिर 200 डॉलर यानी करीब 18 हजार रुपये वसूल किए. इसके बाद उन्हें होटल छोड़ा, जो एयरपोर्ट के बहुत नजदीक था. पुलिस ने बताया कि अमेरिकी महिला 12 जनवरी को होटल में ठहरी थी. अगले दिन वह पुणे के लिए रवाना हो गई थीं. बाद में वह अमेरिका लौट आईं. उस वक्त उन्होंने होटल स्टाफ से इस घटना की शिकायत नहीं की थी. अब पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला का बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है. महिला की पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

पुणे: 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव 7 फरवरी को...

जबकि वोटों की गिनती 9 फरवरी को होगी

पुणे: डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत के कारण राज्य में तीन दिन का शोक घोषित किया गया है, इसलिए 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के बाकी चरणों में बदलाव किया गया है और अब वोटिंग 5 फरवरी 2026 की जगह 7 फरवरी 2026 को होगी; जबकि वोटों की गिनती 7 फरवरी 2026 की जगह 9 फरवरी 2026 को होगी। राज्य चुनाव आयोग ने इन जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों का शेड्यूल 13 जनवरी 2026 को घोषित किया था। इसके अनुसार,

नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने, नॉमिनेशन पेपर वापस लेने, चुनाव चिन्ह बांटने और चुनाव लड़ने वाले फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट पब्लिश करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले कदम हैं वोटिंग, वोटों की गिनती और चुने हुए सदस्यों के नामों को गजट में पब्लिश करना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 के बाद सिर्फ दो हफ़्ते का एक्सटेंशन दिया है। हालांकि, 28 जनवरी 2026 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की अचानक मौत के कारण, राज्य सरकार ने 28 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक राज्य में शोक घोषित किया है। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के शेड्यूल के बाकी चरणों में बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार, संबंधित जिला कलेक्टर 31 जनवरी 2026 को संशोधित चुनाव शेड्यूल का नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे।

नवी मुंबई : सिडको अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार... एसीबी की बड़ी कार्रवाई!

नवी मुंबई : नवी मुंबई में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडको के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत मामले में फंसा लिया। नेरुल स्थित सिडको कार्यालय में कार्यरत प्रभारी छठी कॉलोनी अधिकारी शैलेश घरत को एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया है। इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता एक ठेकेदार है, जो सिडको हस्तांतरण और सोसायटी पंजीकरण का काम करता है। उसने सनपाड़ा स्थित एक फ्लैट के हस्तांतरण के लिए सिडको में आवेदन किया था। आरोप है

कि इस काम के बदले अधिकारी शैलेश घरत ने चार लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदेबाजी के बाद रकम दो लाख रुपये पर तय हुई। शिकायत के आधार पर एसीबी ने पहले सत्यापन किया। आरोप सही पाए गए। इसके बाद 28 जनवरी को जाल बिछाया गया। नेरुल रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल नवमी में निजी व्यक्ति नागेंद्र पांडे को शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पांडे ने यह रकम अधिकारी की ओर से ली थी।

'रजक महासंघ' की तरफ से मुंबई सेंट्रल में आयोजित समाज के समारोह में मुंबई मनपा वार्ड क्र. 174 से रजक समाज की नवनिर्वाचित नगरसेविका साक्षी अनिल कनौजिया का सम्मान किया गया। महासंघ के अध्यक्ष राममिलन कनौजिया और अन्य पदाधिकारियों ने इस जीत पर खुशी जाहिर की है। समारोह में काफी संख्या में समाज के प्रमुख व प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे।

लाउडस्पीकर गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत, दो लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई : विक्रोली इलाके में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लगाए गए दो लाउडस्पीकर के गिरने से तीन वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार सुबह आंबेडकर नगर में घटी, जब गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा था। विक्रोली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि उस व्यक्ति के कपड़ों का गट्ठर तारों में उलझ गया, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर लगे दो लाउडस्पीकर एक के बाद एक बच्ची पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के आयोजक सार्वजनिक क्षेत्र में लाउडस्पीकरों को सुरक्षित तरीके से रखने में विफल रहे।

टपोरी फटके

लफड़ा होयेगा चलेगा, पन लोकल ट्रेन के दरवाजे पेईच खड़े रहेगा

जितेन्द्र कनौजिया

ये मैटर तो हर किसी के साथ हुयेला रहेगा। जास्ती चर्बी वाला लोग की नाटकी के वजे से लोकल ट्रेन में रोज किधर ना किधर मचमच होते रहेता है। अंदर खाली रहेगा ,तो भी ट्रेन के दरवाजे पेईच लटकने का है।

कोई कोई तो बैग लेके खड़े रहेता है। इसमें झंझट किसका होता है? जो ट्रेन में चढ़ता और उतरता है। उन लोग के साथीच इन लोग का मगजमारी होते रहेता है। एकदम बेशरम जैसा दरवाजे के गेट पे खड़े रहेगा। कोई खसकू रहा, तो टेढ़े बोलके ईच बात करेगा, तब्बी ये दरवाजे का छपरी लोग बरोबर शाणा होके गपचुप साइड हो जाता है। मालूम है के उसको इज्जत नहीं दिया, तो खाली - पीली फुकट में फटके गिर जायेगा। ये गेट वाले लोग कोई अकेला रहेगा, तो फिर नड़ता है। अगर दो- चार जन साथ में रहा, तो इनकी फटती है। मुंह में निप्पल लेके सुमड़ी में सामने वाले लोग को इज्जत दे डालेगा। रोज - रोज का इनका नाटकी से ट्रेन में जानेवाला लोग कंटाल गयेला है। भोत जन तो बोलनाईच बंद कर डालेला है। सोचता है के कायके लिये इनके मुंह लगने का , सुननेवाला तो है नहीं। फुकट में लफड़ा हुआ, तो अपना मूड खराब हो जायेगा। जिसको लास्ट स्टेशन में उतरने का रहेगा ना, अंदर बैठने को जागा भी होयेगा ना, तो भी गेट पे खड़े रहेगा। एक तो गेट पे बीच में पाइप होने के कारण जागा भी कम रहेता है। ऊपर से कोई गेट पे खड़े रहेगा, तो अंदर घुसने को भोत तकलीफ होता है।कब्बी गेट वाले ने बैग टांगेला रहेगा और अपने पास पन बैग होयेगा, तो हो गया काम भारी। फिर तो मुश्किल से घुसने को मिलता है। कब्बी चढ़ने के लिये गर्दी हुवा, तो लग गई। ये गेट वाले लोग को पब्लिक का कुछ पड़ेली नहीं रहती है, ये लोग अपनी दुनिया में रहेता है। लेडीज आये, बच्चे लोग आये, वरिष्ठ आये, इन लोग को कुछ फरक नहीं पड़ने वाला।

अब्बी मालूम पड़ा ना , वो प्रोफेसर आलोक सिंह का गेट पे चढ़ने - उतरने को लेकर ओमकार शिंदे से मचमच हुआ, शिंदे ने अपने पास रखेला सामान से उसके ऊपर वार कर डाला और बेचारा आलोक का जान चला गया। ऐसा किधर भी नहीं होना मंगता है करके जो लोग रोज जान बूझके गेट पे खड़ेला रहेता है, उन लोग को अपना आदत बदलना मंगता है।

कोपरी में नाले की सुरक्षा दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला

ठाणे : कोपरी इलाके में गुरुवार दोपहर नाले की सुरक्षा दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। घटना गांधीनगर, आनंद नगर स्थित पंचायत सोसायटी के पास हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। दोपहर करीब 2 बजकर 5 मिनट पर नाले की लगभग 200 फुट लंबी और 10 फुट ऊंची सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इसके चलते नाले की मुख्य दीवार भी कमजोर हो गई। आसपास का इलाका कुछ देर के लिए दहशत में आ गया। दीवार गिरने से नाले के किनारे खड़े दो पेड़ खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। पास की सोसायटी की इमारतों को भी नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन कक्ष, अग्निशमन दल और नगर निगम के विभिन्न विभागों की टीम मौके पर पहुंचीं।

नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का किया स्वागत - सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

मुंबई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नियमों पर व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार की ''अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने'' के लिए आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि नए नियमों के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके उपनाम को लेकर उन्हें ''ट्रोल और गाली'' दी गई, उन्होंने दिशानिर्देशों की ''अस्पष्टता'' पर जोर दिया, जिसे वह ''परिसरों में और अधिक भेदभाव पैदा करने'' का प्रयास मानती थीं।

''मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यूजीसी के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जो अस्पष्ट, मनमाने और कैंपस में भेदभाव को और बढ़ाने का प्रयास थे। मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं और मेरे उपनाम का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जो भी हो। न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी हो, मैं उसे उठाती रहूंगी और उसके लिए अपनी आवाज उठाती रहूंगी,'' प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि विनियम 3 (सी) (जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूरी तरह अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, ''इसकी भाषा में संशोधन की आवश्यकता है।'' 23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी नियमों को विभिन्न याचिकाकताओं द्वारा मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत संस्थानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है। मुख्यतः सामान्य वर्ग के छात्रों ने परिसरों में समानता के बजाय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

छात्रों ने बताया कि इस नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ दर्ज फर्जी शिकायतों के समाधान का कोई प्रावधान नहीं है।